सरमथुरा

23/1/24 पत्रावली पेश/ वकील वादी अनुप/ वादी स्वयं अनुप/ अपील
लगवाई गई लेकिन अनुपस्थित है/ ऐसी स्थिति में दावा वादी
अदम इजिफी अदम पैरवी खारिज किया जाता है पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होने बाद तत्कालीन दाखिल
दफ्तर हो/

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया/

उपखण्डाधिकारी
सरमथुरा (धौलपुर) राज.